राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 3508 / SEIAA/2022
Date: 21/3/22

प्रति,

कलेक्टर
जिला रीवा (म.प्र)

विषयः– प्रकरण कमांक 8992/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री सत्येन्द्र कुमार द्विवेदी आत्मज श्री जगजीवन प्रसाद द्विवेदी, निवासी ग्राम बरहट, तहसील त्योंथर, जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदानं (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 11000. घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 303/1, ग्राम पनगड़ीकंला, तहसील सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 710 वी बैठक दिनांक 08.03.2022 को चर्चा किया गया एवं यह अभिलिखित किया गया ......

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 553वी बैठक दिनांक 22.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 553वी बैठक दिनांक 22.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के एकल प्रमाण पत्र क्र. 40 दिनांक 07. 01.2022 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में प्राकृतिक नाला, मानब बसाहट एवं रोड़ नहीं होना बताया गया है। अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार उत्तर दिशा में प्राकृतिक नाला, दक्षिण पश्चिम दिशा में मानव बसाहट एवं दक्षिण दिशा में लीज क्षेत्र से लगा हुआ पक्का रोड़ परिलक्षित है एवं दो खदानें के अतिरिक्त अन्य खदाने भी परिलक्षित हो रही है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है, जिसे मान्य करने पर न्यूनतम उतखखन क्षेत्र उपलब्ध न होने कि स्थिति होना परिलक्षित है।

प्राधिकरण द्वारा जिला कलेक्टर रीवा से 500 मीटर की परिधि में स्थित मानव बसाहट, रोड एवं अन्य स्वीकृत/संचालित खदानों की जानकारी के संबंध में 07 दिवस में स्पष्ट स्थिति प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उक्त बैठक में लिये गये निर्णयानुसार, प्रस्तावित खदान के 500 की परिधि में मानव बसाहट, रोड एवं अन्य स्वीकृत/संचालित खदानों की जानकारी के संबंध में 07 दिवस में स्पष्ट स्थिति *SEIAA* कार्यालय को प्रेषित करें।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 3509 /SEIAA/2022 दिनांक – 21/3/22

प्रतिलिपिः–

श्री सत्येन्द्र कुमार द्विवेदी आत्मज श्री जगजीवन प्रसाद द्विवेदी, निवासी ग्राम बरहट, तहसील त्योंथर, जिला रीवा (म.प्र.)

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी